"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2005—श्रावण 14, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-1-40/2004/42.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम**—

(एक) ये नियम छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम 2005 कहलाएंगे.

(दो) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें**—
इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, सरकार,

(ख) आयोग से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

(ग) परीक्षा से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भरती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा,

(घ) अनुसूची से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(ङ) अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा उल्लेखित अनुसूचित जाति.

(च) अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा उल्लेखित अनुसूचित जनजाति.

(छ) अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-25-4-84 दिनांक 26-12-1984 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ-8-19/25/4, दिनांक 30-8-1995 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग एवं आदेश क्रमांक एफ-8-19/25/4 दिनांक 30-8-1995 द्वारा संशोधित.

(ज) 'सेवा' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित)

(झ) 'राज्य' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

(ञ) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति—**
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन—**
सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में उल्लेखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति या स्थानापन्न रूप से पद धारण कर रहे व्यक्ति.

(दो) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये व्यक्ति.

(तीन) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये व्यक्ति.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि—**
सेवा का वर्गीकरण उनके संबंध में वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे,

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा,

6. **भर्ती का तरीका—**
(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो स्थानापन्न हैसियत, से ऐसी सेवाओं में, ऐसे पद धारण किये हो जिससे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शायी गयी प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, सेवा में की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसको या जिनको भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार को आवश्यक होने पर शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे तरीकों को अपना सकेगी, जिन्हें वह द्वारा इस संबंध में जारी किए आदेश द्वारा विहित करें.

(5) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति—**

इस नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें—**

परीक्षा/चयन में भाग लेने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये, अर्थात् :—

(एक) आयु—

(क) उम्मीदवार ने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी वर्ग की 1 जनवरी को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो और उसने कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो.

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार होगी, इसी तरह महिला आवेदकों को भी छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के तहत आयु सीमा में छूट होगी, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधान लागू होंगे.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हो या रह चुके हो, उच्चतर आयु सीमा में भी नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक या छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जावेगी.

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता विधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(दो) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया सरकारी कर्मचारी है, अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा में से अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण — पद "छटनी किया गया सरकारी कर्मचारी" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: माह की कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो,

स्पष्टीकरण— पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो या जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार भरती किये गये हों, और जिन्हें —

(क) अल्पकालीन वचनबध पूर्ण हो जाने पर ;

(ख) भरती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो ;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी ;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशंड अधिकारी भी आते हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किया गया है ;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं ;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनकी गोली लग जाने से, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) उन अभ्यर्थियों के सम्बंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

(ङ) विधवा, परित्यकता और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के मामले में सामान्य उच्चतर, आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;

(च) उन अभ्यर्थियों के सम्बंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत "ग्रीन कार्ड धारक" हो, उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ;

(छ) आदिमजाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन किसी दम्पत्ति में से उच्चतर जाति के पुरस्कृत पति या पत्नी के मामले में उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ;

(ज) उन खिलाड़ी अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जिन्होंने "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त किया हो सामान्य उच्चतर आयु सीमा में भी 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ;

(झ) होमगार्ड के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशंड अधिकारियों के सम्बन्ध में उच्चतर आयुसीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि, आठ वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुये छूट दी जायेगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

टिप्पणी —ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (ग) (एक) और (दो) में वर्णित आयु सम्बन्धी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिये ग्राह्य किया गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा लिये जाने के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाय तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे, किसी भी अन्य मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जायेगी. विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिये नियुक्ति, प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करना होगी. उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी भर्ती में आयुसीमा के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(दो) शैक्षणिक अर्हतायें —

अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाये गये अनुसार सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए परन्तु :—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हमान सकेगा जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण आयोग की राय में अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए विचार करना न्यायोचित हो ;

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को भी जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदाय नहीं की गई है उपाधियां प्रदान नहीं की गई है, उपाधियां प्राप्त की है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा.

(3) फीस —

अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता—**

अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा उसे परीक्षा में प्रवेश के लिये निरर्हकारी माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा—**

परीक्षा में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती —**

(1) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन ऐसे आदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिन्हें सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से जारी करे.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जावेंगे.

(क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उप नियम (8) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ पद आरक्षित रहेंगे.

(7) जहां कहीं भी सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो तथा लोक सेवा आयोग की राय में ऐसा पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भरती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है. वहां लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची—

(1) आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से जैसा कि आयोग अवधारित करे, अर्ह हो, तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि, उस स्तर से अर्हित न हो, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो गुणागुण (मैरिट) के क्रम में बनायी गयी एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा, यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अभ्यर्थियों को सूची में से उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें उनके नाम सूची में आये हो.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं करता जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति—

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे.

परन्तु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे.

(2) समिति सामान्यत: एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी.

(3) ऐसे पदों पर जिनमें पदोन्नति अनुसूची दो में एक से अधिक संख्या में पद पदोन्नति के लिये उपलब्ध है उनमें क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र होंगे. प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2003 के अनुसार पदोन्नति होगी.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. पदोन्नति के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्तें—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये. समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उतने वर्षों की सेवा (स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा अनुसूची चार के कालम (2) में वर्णित है, उस पद पर जिससे पदोन्नति दी जाना है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारण के क्षेत्र के भीतर आते हो.

(2) पदोन्नति के विषय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम) 2003 लागू होगा.

15. उपयुक्त अधिकारियों की सूची का तैयार किया जाना—

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हो तथा जो समिति द्वारा पदोन्नति/सेवा में स्थानान्तरण हेतु उपयुक्त ठहराये गये हो, यह सूची चयन सूची के तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्यशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या में 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची उपर्युक्त कालावधि दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन ज्येष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुये सभी दृष्टि से योग्यता-तथा उपयुक्तता कर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम, ऐसी प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, अनुसूची चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

परन्तु किसी भी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को जो, समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे ज्येष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण — ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची के विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही, उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो, ज्येष्ठता का दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित करना प्रस्तावित हो, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के सम्बन्ध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

16. आयोग से परामर्श —

विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा दी गई है, की सिफारिशों के बारे में यह समझा जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक रूप से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

17. चयन सूची—

(1) सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सूची, सेवा के सदस्यों की, अनुसूची चार के कालम (3) में यथा वर्णित पदों पर, अनुसूची-दो के कालम (2) में वर्णित पदों में से पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों के पालन में गम्भीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन, सरकार के अनुरोध पर किया जा सकेगा तथा आयोग, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति—

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग (काडर) के अन्तर्गत आने वाले पदों पर उसी क्रम से की जायेगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हो.

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो वहां ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो या जो चयन सूची में अगले क्रम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि सरकार को यह समाधान हो जावे कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो, जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त गया हो.

19. परिवीक्षा—

सेवा में सीधी भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा.

20. निर्वचन—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

21. शिथिलीकरण—

इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर यह नियम लागू होते हों राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होता हो, सीमित या कम करती है.

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबन्धित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. व्यावृत्ति—

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों/निर्देशों के अनुसार उपबंधित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्त को प्रभावित नहीं करेगी.

23. निरसन तथा व्यावृत्ति—

मध्यप्रदेश रोजगार सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम (समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ-1-21-89-42-2, दिनांक 29-6-1996) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य समस्त नियम तथा आरक्षण में इसके विस्तार के संबंध में संकल्प जो इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हो इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव.

अनुसूची - एक

वर्गीकरण एवं वेतनमान
(नियम- 5 देखिये)

अ. क्र. (1)	कर्तव्य पद (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1.	संयुक्त संचालक	01	प्रथम वर्ग	12,000 - 375 - 16,500
2.	उपसंचालक रोजगार	07	प्रथम वर्ग	10,000 - 325 - 15,200
3.	रोजगार अधिकारी/ सहायक संचालक	19	द्वितीय वर्ग	8,000 - 275 - 13,500
4.	शोध अधिकारी	01	द्वितीय वर्ग	8,000 - 275 - 13,500
5.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	द्वितीय वर्ग	8,000 - 275 - 13,500

अनुसूची - दो

भरती का तरीका

(नियम- 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6 (ङ)] के अनुसार	टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6 (क)] के अनुसार	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति [नियम 6(ख)] के अनुसार		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनशक्ति नियोजन विभाग	छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित)	राजपत्रित सेवा प्रथम वर्ग				
	1. संयुक्त संचालक	01	-	100%	-	
	2. उप संचालक	07	-	100%	-	
	राजपत्रित सेवा द्वितीय वर्ग					
	1. रोजगार अधिकारी/ सहायक संचालक	19	50% प्रतियोगिता	50%	-	लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति
	2. शोध अधिकारी	01	50%	50%	-	--तदैव--
	3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100%	-	-	--तदैव--

अनुसूची - तीन

आयु तथा पात्रता
(नियम- 8 देखिये)

अ. क्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनशक्ति नियोजन विभाग	छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) 1. रोजगार अधिकारी/सहायक संचालक	21 वर्ष	30	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान (जिसमें इंजिनियरिंग या टेकनालाजी शामिल है) वाणिज्य, कृषि में स्नातक की उपाधि
	2. शोध अधिकारी	21 वर्ष	30	---तदैव---
	3. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	21 वर्ष	30	बी. ई./बी. टेक (कम्प्यूटर साईस) एम. सी. ए., बी. ई. इलेक्ट्रानिक्स में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि वांछनीय योग्यता रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया से संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी.

अनुसूची - चार

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति
(नियम- 8 एवं 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनशक्ति नियोजन विभाग	प्रथम श्रेणी 1. उपसंचालक/संभागीय रोजगार अधिकारी	संयुक्त संचालक	3 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष
	2. द्वितीय श्रेणी 1. रोजगार अधिकारी/ सहायक संचालक	उपसंचालक/संभागीय रोजगार अधिकारी	5 वर्ष	2. प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य
	2. शोध अधिकारी	---तदैव---	---तदैव---	
	3. प्रोग्रामर	प्रोग्रामर अपग्रेड वेतनमान	12 वर्ष पश्चात् वेतनमान 10000-325-15200 तथा 24 वर्ष सेवा पश्चात् वेतनमान 10650-325-15850	
	तृतीय श्रेणी	रोजगार अधिकारी/ सहायक संचालक/ शोध अधिकारी	5 वर्ष	3. संचालक रोजगार और प्रशिक्षण-सदस्य
	1. अधीक्षक	---तदैव---	5 वर्ष	
	2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	---तदैव---	5 वर्ष	
	3. कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	---तदैव---	5 वर्ष	

Raipur, the 5th August 2005

NOTIFICATION

No. F -1-40/2004/42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the Chhattisgarh Employment Service (Gazetted), Recruitment Rules, namely :—

RULES

1. **Short Title—**

(i) These rules may be called the Chhattisgarh Employment Service (Gazetted) Recruitment Rules 2005.

(ii) These rules shall come in to force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette."

2. **Definitions—**
In these Rules unless the context otherwise requires :

(a) "Appointing Authority" in respect of service means the government,

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission,

(c) "Examination" means the competitive examination held under rule 11,

(d) "Schedule" means the schedule appended to these rules,

(e) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this state under article 341 of the Constitution of India,

(f) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this state under article 342 of the Constitution of India,

(g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5/25/4/84, dated 26-12-84 and amended vide No. F-8-19/25/4, dated 30-8-95,

(h) "Service" means the Chhattisgarh Employment Service (Gazetted),

(i) "State" means the state of Chhattisgarh,

(j) "Governor" means the Governor of Chhattisgrah.

3. **Scope and Application—**
Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh. Civil Services (General Condition of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service—**
The service shall consist of the following persons, namely :—

(i) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in schdule-1

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification Scale of Pay etc.**

The Classifications of the service the scale of pay attached there to and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained on schedule-I

Provided that the government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment —**

(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment through competitive examination

(b) By promotion of the members of service as specified in column (2) of schedule-IV

(c) By transfer of persons hold a capacity substantively such posts in such service as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in schedule-II of the number of posts as specified in schedule-I

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determind on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government, the Exigencies of the service so require the Government may with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribed.

(5) The provisions of the Chhattisgarh Lokseva (Anusuchi Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyan aur anya Pichhada Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions issued by General Administration Department from time to time shall be applicable at the time of recruitment to the service.

7. **Appointment to the Service—**

All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment —**

In order to be eligible to competent at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

1. **Age—**

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following date of commencement of Examination/Selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, or a Scheduled Tribe or Other Backward Classes or as per order issued by government of Chhattisgarh in this respect. Inrespect of female candidate the relaxation in the age limit will be applicable as per Government instruction provisions of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule 1997 will be applicable.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been the employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below or as per orders issued by the Government of Chhattisgarh from time to time.

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government Servant shall not be more than 38 year of age. This concession shall also be admissible to contigency paid employees, work charged employees and employees working in Project Implementation Committees and also to the employees who are declared surplus.

(ii) A candidate who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto maximum limits of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iii) A candidate who is an Ex-servicemen shall be allow to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exeed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belonged to any of the following Categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchanges or application made otherwise for employment in Government service.

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on :—

(a) Completion of short term engagement.

(b) Fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Ex-personnel of Madrass civil unit

(4) Officers (Military and Civil) Discharged on completion of their contract (Including short services Regular Commissioned Officers).

(5) Officers discharged after working for more than six month continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalided out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicesmen who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall not be more than 38 year of age in respect of candidates who are employees of chhattisgarh state Corporation/Boards.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to five year for widow destitute and divorced female candidates.

(f) The upper age limit shall be relaxed upto two years in respect of these candidates who are Green card-holders under the family planning welfare programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive Programme of the Trible, Harijan & Back-ward Classses Welfare Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of those sports men candidate who are "Vikarm Award" holders.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by the subject to the limit of eight years but in no case their age should exceed 38 years.

Note :- Candidates who are admitted to the Examination/Selection under the age concessions mentioned in rule 8 clause (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the applications, they resign from service either before or after taking the examination, they shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case shall these age limit be relaxed. The depart mental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority for appearing in the examination. In addition to above the instructions issued from time to time by general Administration Department regarding age limit in the direct recruitment will be applicable.

(2) Educational Qualification—

The candidate must posses the educational. qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III Provided that :-

(a) In exceptional cases the commission may on the recommendations of the Government treat as qualified a Candidate who though not possessing any of the qualification prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in opinion of the Commission justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities not specifically recognized by the Government may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(3) Fees—

The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. Disqualification—

Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

10. Commission's decision about the eligibility of a Candidate shall be final —

The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall not be admitted to the examination.

11. Direct recruitment by competitive examination —

(1) Examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders issued by the Government in consultation with the Commission from time to time.

(3) There shall be reserved post for the persons belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribe and other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyon our Anya Pichhada vargon ke liye (Arakshan) Adhiniyam 1994 (No. 21 of 1994).

(A) 30 percent of posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules 1997.

(4) In filling the vacancies so reserved for candidates who are members of the Scheduled caste and Scheduled tribe shall be considered for Appointment in the order in which their names appear in the list referrred to Rule 12 irrespective of their relative rank, as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes selected by the Commission to the suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3),

The selection of candidates for the service shall be made by the commission after interviewing them.

(6) According to instruction issued by General Administration Department certain posts are reserved for disabled candidates.

(7) If certain period of experience has been prescribed and essential condition for filling the post by direct recruitment and in the opinion of Public Service Commission it is found that the sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates having requisite experience or not likely to be available for recruitment on the reserved posts the Public Service Commission may relax the conditions of experience in respect of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidate.

12. List of candidates recommended by the Commission.

(1) Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. This list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these Rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) rule 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The Selection list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Commission.

13. Appointment by Promotion —

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that for the purpose of constituting of the committee under this sub rule the provisions of section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyan aur Anayan Pichhadavargan ke liye Arkshan) Adhiniyam 1994 (No. 21 of 1994) shall also apply.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) On such posts where there is more then one post in the column (3) of schedule-II, 15 percent and 23 percent of such posts shall be reserved for those officers/employees belonging to Schedule Caste and Schedule Tribe respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14, promotions will be made of the posts of class-I and class-II according to the modelroster in accordance with Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam 2003.

(4) Procedure for making promotion to the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion—

(1) Subject to the Provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts from which is to be made as mentioned in column (2) of schedule IV or on any post or posts declared equivalent there to by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule-(2).

(2) In the matter of promotion the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Chhattisgarh Padonnati Niyam) 2003 shall be applicable.

15. Preparation of list of suitable officers—

(1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule-14, above and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficients to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of the persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Provided that any of the junior officer who in the opinion of the Committee is of execeptional merit and suitability may be assigned in the list higher place than that of officer senior to him.

Explanation- A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a Subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so Prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service the committee shall record its reasons for proposed supersession.

16. Consultation with the commission—

The recommendations of the departmental promotion committee presided over by the chairman or by a member of the commission shall be deemed to compliance of the requirement of consultation of the commission under sub clause (b) of clause (3) of article 320 of the Constitution of India and a separate consultation with the commission shall not be necessary.

17. Select list—

(1) The list as finally approved by the Government shall from the select list for promotion of the members of the service to the posts as mentioned in column (3) of schedule -(IV) from the posts as mentioned in column (2) of schedule-II.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of Government and the Commission may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the service from the select list—**

(1) Appointments of officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list,

Provided that where administrative exigencies so require. A person whose name is not included in the select list or who is not next in order in select list may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to lost for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation —**

Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation—**

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final .

21. **Relaxation—**

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules may apply, in such manner as may appear to it be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourably to him than that provided in these rules.

22. **Saving —**

Nothing in these rules shall effect reservations and the other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving —**

Madhyapradesh Employment Service (Gazetted) Recruitment Rule (Vide Notification No.-F 1-21-89-XL II-2 dated 29-06-1991) in relation to its extent in the state of Chhattisgarh and all other rules and resolutions in force immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. J. V. PRASAD, Secretary.

SCHEDULE-I

Classification and pay scale
(See Rule 5)

S. No. (1)	Duty Post (2)	Number of Post (3)	Classification (4)	Scale of pay (5)
1.	Joint Director	1	Class I	12,000 -375 -16,500
2.	Deputy Director	7	Class I	10,000 -325 -15,200
3.	Asstt. Director/Employment Officer	19	Class II	8000 -275 -13,500
4.	Research Officer	1	Class II	8000 -275 -13,500
5.	Computer Programmer	1	Class II	8000 -275 -13,500

SCHEDULE-II

Method of Recruitment
(See Rule 6)

Name of Department	Name of Service	Total Number of post	Percentage of the number of post to be filled.			Remarks
			By direct recruitment [vide Rules 6 (a)]	By promotion the members in service [vide Rule 6(b)]	By transfer of the person from other service [vide Rule 6 (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manpower Planning Depart-ment	The Chhattisgarh Employment Service (Gazetted)	Gazetted service Class- I				
	1. Joint Director	1		100%		
	2. Deputy Director	7		100%		
		Gazetted Class - II				
	1. Assistant Director/ Employment Officer	19	50%	50%		Recruitment through public service commi-ssion.
	2. Research Officer	01	100%			
	3. Computer Programmer	01	100%			Recruitment through public service commi-ssion.

SCHEDULE-III

Age and Qualification
(See Rule 8)

Name of Department (1)	Name of Service (2)	Minimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)
Manpower Planning Department	The Chhattisgarh Employment service (Gazetted).			A. Bachelor's degree in arts, science (including technology of Engineering) Commerce or Agriculture from any recognised university.
	1. Asstt. Director/ Employment Officer	21 years	30 years	
	2. Research Officer	21 years	30 years	---do---
	3. Programmer	21 years	30 years	B.E./B.Tech in Computer Science M.C.A., B.E. (Electronics) from any recognised University Desirable candidates having experience related to the procedures of the employment exchanges will be preferred.

SCHEDULE-IV

Conditions of eligibility for Direct Recruitment and Appointment by promotion
(See Rule 13 & 14)

Name of Depart-ment	Name of the post from which the promotion is to be made	Name of the post to which the promotion is to be made	Period of service required for promotion	Members of the Department promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manpower planning	**Class-I**			
	1. Deputy Director	Joint Director (Employment)	3 years	1. The Chairman of the public service commission or any member nominated by him.
	Class-II			
	1. Assistant Director/ Employment Officer	Deputy Director	5 years	2. Principal Secretary/ Secretary-Member.
	2. Research Officer	---do---	5 years	
	3. Programmer	Programmer (up-grade scale)	Scale 10000-325-15200 after 12 years service and 10650-325-15850 after 24 years of service.	3. Director Employment and Training-Member.
	Class-III			
	1. Superintendent	Asstt. Director Employment Officer/Research Officer	5 years	
	2. Junior Employment Officer.	---do---	---do---	
	3. Assistant Statistical Officer.	---do---	---do---	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.